बीएसईएस लोक अदालत में टूटे पुराने सारे रेकॉर्ड, निपटाए गए 5600 से अधिक मामले

- **पर्यावरण फ्रेंडली, पेपरलेस लोक अदालत में 30 हजार ए4 पेपर–शीट्स बचीं**

नई दिल्लीः 11 दिसंबर, 2017। बीएसईएस द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं समिति के सहयोग से आयोजित लोक अदालत ने पिछले सारे रेकॉर्ड तोड़ते हुए, बिजली चोरी के 5600 से अधिक मामलों का ऑन–द–स्पॉट निपटारा किया। पूर्वी दिल्ली में कड़कड़डूमा कोर्ट, मध्य दिल्ली में आईटीओ स्थित पीएलए बिल्डिंग, दक्षिण दिल्ली में साकेत कोर्ट और पश्चिम दिल्ली में द्वारका कोर्ट में आयोजित दो दिवसीय स्पेशल लोक अदालत में शनिवार और रविवार को इन मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। यह एक पर्यावरण फ्रेंडली लोक अदालत थी, जसमें करीब 30 हजार ए4 पेपर–शीट्स की बचत हुई।

शनिवार और रविवार की देर शाम तक चली इस लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाया। अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पहुंचे उपभोक्ताओं में, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे।

कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर की जाने वाली चोरी– दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा किया गया। ये मामले या तो किसी अदालत या फोरम में लंबित थे, या फिर उन्हें अब तक अदालतों में दाखिल नहीं किया गया था। बीवाईपीएल ने उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वे बिजली चोरी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए नोटिस व पत्रों के अलावा, एफएम चैनलों, पर्चे–पोस्टरों, ईमेल, एसएमएस, वॉट्सऐप, आदि का भी इस्तेमाल किया गया था।

बिजली चोरी के मामलों के निपटारे के बाद सेटल्ड रकम के भुगतान के लिए अदालत परिसर में ही अलग से कैश काउंटर की व्यवस्था थी। यही नहीं, ऑन–द–स्पॉट, बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के आवेदन करने की सुविधा भी उन्हें वहीं उपलब्ध कराई गई।

दो दिवसीय लोक अदालत के माध्यम से पूर्वी, मध्य, दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीएसईएस उपभोक्ताओं को एक, वन–टाइम अवसर मुहैया कराया गया, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, सेटल्ड रकम के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया गया है।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोक अदालत सभी के लिए सार्थक रहा। उपभोक्ताओं को अपने मामलों के त्वरित निपटारे का अवसर मिला और साथ ही, लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से निजात मिली। न्यायपालिका के लिए भी यह अच्छा मौका रहा, क्योंकि 5600 मामलों का निपटारा एकसाथ हो गया। और, बीएसईएस के लिए तो यह अच्छा रहा ही, क्योंकि इतने उपभोक्ताआ अब मीटरीकृत हो जाएंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

———————————————————————————————————————